

प्रेषक,

जी0पी0 कमल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन लखनऊ

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 18 जनवरी 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक- 2408 - खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013-0401-राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित धनराशि रू0 19.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त एवं लेखाधिकारी राज्य खाद्य आयोग के पत्र सं0-42/रा0 खा0आ0/बजट/2017-18 दिनांक 30-11-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के अनुदान सं0-21 के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से लेखाशीर्षक-2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-राज्य खाद्य आयोग हेतु -31-सहायता अनुदान-सामन्य (वेतन) में रू0 19.80 लाख (रू0 उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मर्दों में ही एवं वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता से संबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-राज्य खाद्य आयोग हेतु-31-सहायता अनुदान-सामन्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017 दिनांक 27-12-2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0पी0 कमल)

विशेष सचिव

सं0- /2018/ 847(1)/29-3-2017-ब 706/16टीसी तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्य निष्ठान भवन, 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।
- 5- स्थानिक प्रतिनिधि स्थानिक प्रतिनिधि कार्यालय द्वितीय तल 12 ए नेताजी सुभाष रोड कोलकाता।
- 6- कोषाधिकारी काषोगार जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जी0 पी0 कमल)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।